



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 16 अक्टूबर, 2025/24 आश्विन 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या 13/2025— राज्य कर

शिमला-02, 10 अक्टूबर, 2025

सं० ई०एक्स०एन०-एफ (10)-2/2025-वॉल-1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी 153-राजपत्र/2025-16-10-2025 (6591)

परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 31क में, उप-नियम (2) में, अंक "128" के स्थान पर अंक "140" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, नियम 39 में, उप-नियम (1क) में, शब्दों और अंकों "धारा 9 की" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2025 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन"।

4. उक्त नियमों में, 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, नियम 91 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(2) समुचित अधिकारी, सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अभिस्वीकृति की तारीख से सात दिन से अनधिक की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में आदेश करेगा:

परंतु समुचित अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनंतिम आधार पर प्रतिदाय प्रदान नहीं कर सकता है और नियम 92 के अधीन आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है:

परंतु यह और कि प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को समुचित अधिकारी द्वारा पुनः विधिमान्य किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 110 में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) "अनंतिम पावती" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग-क में" शब्द, अंक एवं अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे;

ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में" शब्द, अंक एवं अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 110 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"110क, एकल सदस्य पीठ द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया—

- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि किसी राज्य पीठ के संबंध में अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो या तो अपनी स्वयं की पहल पर या अपील के पक्षकारों द्वारा दाखिल आवेदन पर, अपील की समीक्षा कर सकता है और यदि अपील में विधि के प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी अपील को संबंधित राज्य के भीतर किसी एकल सदस्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।
- (2) यदि एकल सदस्य पीठ, उपनियम (1) के अधीन आबंटित अपील की सुनवाई करते समय, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील में विधि का प्रश्न सम्मिलित हो सकता है, तो ऐसी पीठ अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अपील को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगी।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन अपील की समीक्षा या उप-नियम (2) के अधीन अपील के पुनर्विचार के दौरान, यह तथ्य कि क्या किसी राज्य के भीतर उसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, समान मुद्दा, समान या भिन्न कर अवधि के लिए पहले से ही तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना जा चुका है या उसका निर्णय हो चुका है, को ध्यान में रखा जाएगा और जहां ऐसा मामला विद्यमान है, अपील तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुनी जाएगी।
- (4) धारा 109 की उप-धारा (8) के अधीन पचास लाख रुपए की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, सम्मिलित संचयी कर या इनपुट कर क्रेडिट, या जुर्माना, फीस या शास्ति की राशि का निर्धारण अपील किए गए आदेश में सम्मिलित सभी मुद्दों और सभी कर अवधियों के संदर्भ में किया जाएगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 111 में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) “अनंतिम पावती” शब्दों के पश्चात् “प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग क में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में,—

(i) “प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में”, शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर “प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) द्वितीय परंतुक में, “स्व-प्रमाणित प्रति” शब्दों के स्थान पर “स्व-सत्यापित प्रति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 113 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

“(2) अपीलीय अधिकरण, धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क में आदेश का सारांश जारी करेगा, या जारी कराएगा, जिसमें

अपीलीय अधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप से दर्शायी जायेगी।”

9. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,—

(क) सारणी में,—

(i) भाग III में, “वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे” शीर्षक के अधीन,—

(क) क्रम संख्या 6 के सामने, “वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गए आईटीसी के ब्यौरे” शीर्षक के अधीन,—

(I) क्रम संख्या क, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“

क1	पूर्व वित्तीय वर्ष का आईटीसी जो वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया (जो ऊपर 6क में सम्मिलित है) नियम 37 और नियम 37 क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी के अतिरिक्त				
क2	वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी = (क-क1)				

”;

(II) क्रम संख्या ज की प्रविष्टि में, “(उपर्युक्त ख से भिन्न)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या झ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख जाएगा, अर्थात्:—

“

झ	अंतर (उपर्युक्त झ-क2)				
---	-----------------------	--	--	--	--

”;

(IV) क्रम संख्या ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“

ड	आईटीसी-01, आईटीसी-02क और आईटीसी-02क (जीएसटीआर-3ख और ट्रान फॉर्म के अतिरिक्त) के माध्यम से उपभोग किया गया आईटीसी”				
---	--	--	--	--	--

”;

(ख) क्रम संख्या 7 के सामने, “वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे” शीर्षक के अधीन,—

(I) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“

क1	नियम 37क के अनुसार				
क2	नियम 38 के अनुसार				

”;

	विलम्ब फीस								
	शास्ति								
	अन्य								

(iii) भाग V में, “निर्दिष्ट अवधि तक अगले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में घोषित वित्तीय वर्ष के लेद-देन के विवरण” “आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की प्रविष्टियाँ” शीर्षक के अधीन—

(क) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

10	चालान/डेबिट नोट/संशोधनों के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर (+)					
11	संशोधनों क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाई गई आपूर्ति/कर(-)					
12	अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित वित्तीय वर्ष का आईटीसी					
13	अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया वित्तीय वर्ष का आईटीसी					
14	उपर्युक्त 10 और 11 की घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर					
	विवरण	संदेय	संदत्त	अंतर		
	1	2	3	2-3		
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					

(ख) “अनुदेश” शीर्षक के अधीन,—

(i) पैराग्राफ 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:—

“1. उपयोग किए गए शब्द:

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कूट

(ग) एचएसएन: नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

(घ) आईटीसी: इनपुट टैक्स क्रेडिट”;

(ii) पैराग्राफ 2क में,—

(क) “केवल वित्तीय वर्ष ” शब्दों के पश्चात्, “जिसके लिए वार्षिक रिटर्न फाइल किया जा रहा है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “यहाँ नहीं किया जाएगा” शब्दों के पश्चात्, “जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक न हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) पैराग्राफ 4 में, —

(क) “या वित्त वर्ष 2023–24” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “या वित्त वर्ष 2024–25” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) सारणी में,—

(I) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या “5घ, 5ङ और 5च” के सामने, “वित्त वर्ष 2023–24” अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “और वित्त वर्ष 2024–25,” अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 5ज, 5झ और “5ञ और 5ट” के सामने, “2022–23 और 2023–24” शब्द और अंकों के स्थान पर, 2022–23, 2023–24 और 2024–25,” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(iv) पैराग्राफ 5 में, सारणी में,—

(क) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6क के सामने, “करदाता” शब्द के स्थान पर “वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“

6क1	पूर्व वित्तीय वर्ष के संबंध में आईटीसी, किंतु उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग किया गया जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है, और ऊपर तालिका 6क में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज में सम्मिलित है, यहाँ घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहां रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहां रिपोर्ट किया जाएगा और यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
-----	--

”;

(ग) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ख के सामने,—

(I) “नीचे 6 (ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“तथापि, वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, जो आईटीसी (पहली बार) उपभोग किया गया था वह इस तालिका में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल तालिका 6ज में घोषित किया जाना चाहिए।”;

(II) “2022–23 और 2023–24” अंकों और शब्द के स्थान पर “2022–23, 2023–24 और 2024–25,” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(घ) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ग और 6घ के सामने “2022–23 और 2023–24” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “2022–23, 2023–24 और 2024–25,” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ङ) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ज के सामने “यहां घोषणा की जाएगी।” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“तथापि, वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, अंतर्वर्ती आपूर्ति पर आईटीसी (आयात और प्रत्यागम भार के लिए दायी अंतर्वर्ती आपूर्ति से अतिरिक्त किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) जो (पहली बार) प्राप्त किया गया था वह ऊपर तालिका 6ख में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल यहां घोषित किया जाना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहां रिपोर्ट किया जाएगा।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह ऊपर तालिका 6क 1 में रिपोर्ट किया जाना है।”;

(च) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ज. के सामने, “यह रकम शून्य होनी चाहिए।” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“तथापि, वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, तालिका 6 क2 के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग वित्तीय वर्ष के कुल शुद्ध आईटीसी की राशि और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर क्रेडिट के बीच अंतर यहां ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। आदर्श रूप से, यह राशि शून्य होनी चाहिए।”;

(छ) तालिका संख्या 6ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“

6ण	वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01, प्ररूप आईटीसी-02 और आईटीसी-02क के माध्यम से उपभोग आईटीसी के विवरण (अर्थात् जीएसटीआर उख, ट्रान-1 और ट्रान-1। के अतिरिक्त अन्य फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आईटीसी) यहाँ घोषित किए जाएंगे।
----	---

”;

- (ज) तालिका संख्या “7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“

7क, 7क1, 7क2, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	अपात्रता के कारण या एचपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37, 37क, 38, 39, 42 और 43 के अंतर्गत आवश्यक प्रत्यावर्तन के कारण प्रत्यावर्तित इनपुट कर क्रेडिट के विवरण यहां घोषित किए जाएंगे। इस कॉलम में एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अंतर्गत प्रत्यावर्तित किसी भी इनपुट कर क्रेडिट के विवरण और प्ररूप जीएसटी ट्रान-या प्ररूप जीएसटी ट्रान-1। के अंतर्गत दावा किए गए अपात्र संक्रमण क्रेडिट के विवरण और बाद में प्रत्यावर्तित किए गए विवरण भी सम्मिलित होने चाहिए। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4 (ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से प्रत्यावर्तित कोई भी आईटीसी या ऊपर किसी भी पंक्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कोई अन्य प्रत्यावर्तन 7ज में घोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए, पंजीकृत व्यक्ति के पास या तो तालिका 7क से 7ङ में अपनी प्रत्यावर्तन संबंधी जानकारी अलग से भरने या केवल तालिका 7ज के अंतर्गत प्रत्यावर्तन की पूरी राशि रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।
--	--

”;

- (झ) तालिका संख्या 8ख के सामने, “ब्यौरे अपलोड करें।” शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 6ख में घोषित इनपुट कर क्रेडिट यहां ऑटो-पॉपुलेट किया जाएगा।”

- (ञ) दूसरे कॉलम में तालिका संख्या 8ज के सामने “घोषित” शब्द के पश्चात्, “वित्तीय वर्ष में प्राप्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- (ट) तालिका संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

8ज1	8छ में से, माल के आयात पर इनपुट कर क्रेडिट जो अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा।
-----	---

(v) पैराग्राफ 7 में,—

(क) “30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है।” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, भाग—V में उस वित्तीय वर्ष के लेन—देन के विवरण सम्मिलित हैं जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर के महीनों के लिए फाइल प्ररूप जीएसटीआर—3ख में घोषित किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है।”;

(ख) सारणी में, —

(I) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या “10 और 11” के सामने, “जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, तालिका 10 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या डेबिट नोट या उसी के ऊपरी संशोधन के माध्यम से बढ़ाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर—1 में या प्ररूप जीएसटीआर—1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहां घोषित किए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, तालिका 11 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर—1 में या प्ररूप जीएसटीआर—1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहां घोषित किए जाएंगे।”;

(II) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 12 के सामने, “वित्तीय वर्ष 2017–18” शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और “इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा।” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, वित्तीय वर्ष के प्रत्यावर्तित आईटीसी का सकल मूल्य जो अगले वित्तीय वर्ष में फाइल रिटर्न के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया है जो 30 नवंबर तक फाइल किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा (यह तालिका 7 का हिस्सा नहीं होगा)। अगले वित्तीय वर्ष के प्ररूप जीएसटीआर—3ख की तालिका 4 (ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।”;

(III) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 13 के सामने, “वित्तीय वर्ष 2017–18” शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और “इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा।” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, वित्तीय वर्ष से संबंधित प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष के

अप्रैल से अक्टूबर तक के रिटर्न में उपभोग किया गया था जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4 (क) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।

तथापि, कोई भी आईटीसी जो किसी वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु अगले वित्तीय वर्ष में पुनः उपभोग किया गया था, ऐसे आईटीसी के पुनः उपभोग के विवरण केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर-9 की तालिका 6ज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यही यहां रिपोर्ट नहीं किया जाना है।”;

(vi) पैराग्राफ 8 में, सारणी में, दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या “15क, 15ख, 15ग और 15घ”, “15ड, 15च और 15छ”, 16क, 16ख, 16ग, और “17 और 18” के सामने, “2022-23 और 2023-24” अंक और शब्द, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर “2022-23, 2023-24 और 2024-25,” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(vii) पैराग्राफ 9 में, “केवल” शब्द के स्थान पर ‘इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या’ शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में,—

(क) सारणी में,—

(i) भाग II में, “वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरए 9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 7 के सामने, “कराधेय आवर्त का समाधान” शीर्षक के अधीन,—

(क) क्रम संख्या घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“

घ1	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]				
----	--	--	--	--	--

”;

(ख) दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या ड के सामने, अक्षर और कोष्ठकों “(क-ख-ग-घ)” के स्थान पर अक्षर और कोष्ठक “(क-ख-ग-घ-घ1)” रखे जाएंगे;

(II) भाग III में “संदत्त कर का समाधान” शीर्षक के अधीन,—

(क) क्रम संख्या 9 के सामने “दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि क्रम संख्या ट-1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, —

“

ट-2	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	NA				
-----	---	----	--	--	--	--

”;

(II) दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या द के सामने, “संदाय” शब्द के स्थान पर “संदेय” शब्द रखा जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने, “अतिरिक्त संदेय रकम, किंतु संदत्त नहीं गई रकम (ऊपर तालिका उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 में विनिर्दिष्ट कारणों से) शीर्षक के अधीन,—

(I) “नकदी” शब्द के स्थान पर “नकदी या आईटीसी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) “अन्य” से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

“

वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	NA					
---	----	--	--	--	--	--

”;

(III) भाग V में “गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश “शीर्षक के अधीन,”

(क) “नकदी” शब्द के स्थान पर “नकदी या आईटीसी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) “अन्य” से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“

वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]						
---	--	--	--	--	--	--

”;

(v) भाग V के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“

17	संदेय और संदत्त विलंब शुल्क		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	एकीकृत कर		
ख	केंद्रीय कर		
ग	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर		

”;

(ख) “अनुदेश” शीर्षक के अधीन,—

(i) पैराग्राफ 4 में, सारणी में,—

(क) दूसरे कॉलम में, “2022–23 और 2023–24” अंक और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, “2022–23, 2023–24 और 2024–25,” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“

7घ1	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित की जाएगी।
-----	--

”;

(ग) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 7ड के सामने, “सारणी 7ख, सारणी 7ग, सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, आदि)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर “सारणी 7ख, सारणी 7ग, सारणी 7घ और सारणी 7घ1 में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, धारा 9 की उप-धारा (5) में की जाने वाली आपूर्ति आदि)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) दूसरे कॉलम में तालिका 7च के सामने, “(4ढ – 4छ)” अक्षर, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर “(4ढ – 4छ – 4छ1)” अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 6 में, सारणी में—

(क) दूसरे कॉलम में तालिका संख्या 14 के सामने, “2022–23 और 2023–24 अंक और शब्द के स्थान पर, “2022–23, 2023–24 और 2024–25,” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

17	धारा 47(2) के अनुसार विलंब शुल्क देय होगा।
----	--

(iii) पैराग्राफ 8 में, "केवल" शब्द के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-02ए

[नियम 110 और 111 देखें]

भाग-क

अपील/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनंतिम पावती

<आवेदक का नाम> <जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/संदर्भ संख्या/बीओ आईडी (दिनांक सहित)>

"आपकी अपील <आवेदन संदर्भ संख्या> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दायर कर दी गई है।

आपने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पोर्टल पर एक अपील/आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी अनंतिम पावती दी जाती है और इसका दाखिला स्वीकृति रजिस्ट्री/न्यायाधीश द्वारा जांच के अधीन है। अनंतिम पावती संख्या <दैनिक संख्या> दिनांक..... है।"

जीएसटी आईएन/ अस्थायी आईडी/यूआईएनआईएनआर-

दाखिल करने की तिथि-

दाखिल करने का समय-

दाखिला/ अनंतिम पावती संख्या-

अपील दायर करने वाले व्यक्ति का नाम-

अपील शुल्क -

संव्यवहार संख्या-

स्थान:

<हस्ताक्षर>

दिनांक:

नाम

पदनाम

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से

भाग—ख

अपील/आवेदन के पंजीकरण/अस्वीकार की सूचना देने वाली अंतिम पावती

आपकी अपील/आवेदन <आवेदन संदर्भ संख्या> दिनांक <दिनांक> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दाखिल/पंजीकृत हो गई है।

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर —

केस पंजीकरण संख्या —

स्वीकृति की तिथि —

उपस्थिति की तिथि:

न्यायालय संख्या:

समय:

पीठ:

एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी.....पीठ”

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या..... दिनांक..... है, अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ”

या

आपकी अपील /आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या.....दिनांक.....है, को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।

खारिज करने की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ”

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या..... दिनांक.....है, गलत क्षेत्राधिकार के कारण अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ”

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या..... दिनांक..... है, आपूर्ति स्थान संबंधी मुद्दे की गलत प्रयोज्यता के कारण अस्वीकार कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी.....पीठ”

12. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क”
[नियम 113(2) देखें]

माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् आदेश और मांग का सारांश

क्या पुनः प्रेषण आदेश है: हाँ/नहीं

आदेश संदर्भ संख्या—

आदेश की तारीख—

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन—	
2.	अपील मामला संदर्भ संख्या—	
3.	अपीलार्थी का नाम —	
4.	प्रत्यार्थी का नाम	
5.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई—	

(क) आदेश प्रकार मांग, पंजीकरण, प्रतिदाय, प्रवर्तन, प्रतिदाय और अन्य

(ख) संदर्भ संख्या

तारीख —

6. व्यक्तिगत सुनवाई (सभी सुनवाई तारीखें)

7. अपील के अधीन आदेश की स्थिति—पुष्ट/संशोधित/अस्वीकृत

पुष्ट— अपील के अधीन आदेश पुष्ट किया गया

संशोधित— अपील के अधीन आदेश संशोधित किया गया

अस्वीकृत— अपील के अधीन आदेश रद्द किया गया

8. संक्षेप में आदेश: (मुक्त पाठ, अधिकतम 2500 वर्ण)

9. यदि मांग आदेश है, तो क्या मांग परिमाणित है: (हाँ/नहीं)

(यदि उत्तर हाँ है, तो मांग निम्नप्रकार परिमाणित है:)

खंड-I

विवरण	केंद्रीय कर		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल	
	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) कर										
(ख) ब्याज										
(ग) शास्ति										
(घ) फीस										
(ङ) अन्य										
(च) प्रतिदाय										

खंड-II

आपूर्ति का स्थान/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	विवादित राशि					
	निर्धारित राशि					
पंक्तियाँ जोड़ें						

10. अन्य आदेशों और मांग आदेशों के लिए जो परिमाणित नहीं हैं

समुचित अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुद्दे	जीएसटी अपीलीय अधिकरण का आदेश

11. यदि निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया गया:

(क) पुनः प्रेषित किया गया: (उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करें जिसे पुनः प्रेषित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोई अन्य)

(ख) निर्देश जिनके अधीन पुनः प्रेषित किया गया, यदि कोई हो: (मुक्त पाठ, अधिकतम 1000 शब्द)

खंड-III (लाभ-विरोधी)

12. संक्षेप में आदेश: (ड्रॉप-डाउन मान)

- (क) मूल्य में कमी
- (ख) प्राप्तकर्ता को उस राशि की वापसी जो हस्तांतरित नहीं की गई, ब्याज सहित
- (ग) उपभोक्ता कल्याण निधि/निधियों में जमा
- (घ) अधिरोपित शास्ति (राशि विनिर्दिष्ट की जानी है)
- (ङ) पंजीकरण का रद्दकरण

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

पदनाम:

क्षेत्राधिकारः

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-05
[नियम 110(1) देखें]

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

1. जीएसटीआईएन /अस्थायी आईडी /यूआईएन-
2. अपीलकर्ता का नाम-
3. अपीलकर्ता का पता-
4. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण):
 - (क)
 - (ख)
 - (ग)

.....
[प्रत्यर्थी (गण) का पदनाम और कार्यालय निर्दिष्ट करें]

5. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:

- (क) नाम..... मोबाइल.....ईमेल.....
- (ख) नाम..... मोबाइलईमेल.....
-

6. अपील किया गया आदेश एपीएल-04/अस्वीकृत एपीएल-02 संख्या - दिनांक-
7. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है- हाँ/नहीं
8. अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय -
9. अपील किए गए आदेश की संचार तिथि-
10. अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए गए आदेश का विवरण:
 - (क) संख्या- दिनांक -

(ख) आदेश प्रकार (अनुलग्नक क के अनुसार)

(ग) विवाद की अवधि (DDMMYYYY) से (DDMMYYYY) तक

(मांग संबंधी आदेशों के लिए लागू)

11. क्रम संख्या 9 में निर्दिष्ट आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का विवरण: (उक्त प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय निर्दिष्ट करें)

12. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

(क) नाम..... मोबाइल..... ईमेल.....

(ख) नाम..... मोबाइलईमेल.....

.....

13. अधिनियम (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर)

14. विवाद के अधीन मामले का विवरण:

(क) विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त

(ख) विवाद के अधीन मामले की श्रेणी (अनुलग्नक ख के अनुसार)

(ग) जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ माल जब्त किया गया है

15. मामले का सारांश (अनुलग्नक ग के अनुसार)

16. अपीलकर्ता के बारे में (अनुलग्नक घ के अनुसार)

17. तथ्यों का कथन (अनुलग्नक ङ के अनुसार)

18. अपील के आधार

19. प्रार्थना

20. सृजित, विवादित और स्वीकृत मांग का विवरण:

[illegible]

(ख) स्वीकृत राशि और पूर्व-जमा का भुगतान विवरण (विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा)

क्र. सं.	विवरण	देय कर	नकद/क्रेडिट लेजर के द्वारा भुगतान	डेबिट प्रविष्ट संख्या	भुगतान किया गया कर की राशि			
					एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
2.	केंद्रीय कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
3.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
4.	उपकर		नकद लेजर					
5.			क्रेडिट लेजर					

(ग) ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क और कोई अन्य देय और भुगतान की गई राशि:

क्र.सं.	विवरण	देय राशि				डेबिट प्रविष्ट संख्या	भुगतान की गई राशि			
		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्याज									
2.	जुर्माना									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (निर्दिष्ट करें)									

सत्यापन

मैं, < _____ >, एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे पास सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं आगे घोषण करता हूँ कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध मेरे द्वारा या मेरी ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है या किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।

आज _____ दिन _____ माह _____ 20....
_____ को सत्यापित।

<हस्ताक्षर>

स्थान: आवेदक का नाम

दिनांक: पदनाम/स्थिति

(आदेश प्रकार)

क्र.सं.	'ओदश प्रकार' की सूची
1.	मांग आदेश
2.	प्रतिदाय आदेश
3.	पंजीकरण आदेश
4.	प्रवर्तन आदेश
5.	वसूली आदेश
6.	अन्य आदेश

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. सं.	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण।	एचएसएन का उल्लेख करें	
2.	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता।	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें।	
3.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
4.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
5.	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/ क्रेडिट को रोकना।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
6.	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
7.	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
8.	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
9.	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
10.	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
11.	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
12.	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
13.	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
14.	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
15.	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
16.	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	

17.	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
18.	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
19.	गलत तरीके से एकत्रित कर एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
20.	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
21.	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
22.	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
23.	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
24.	अंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार प्रदान करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
25.	प्रतिदाय को अस्वीकार/ कम/रोक/प्रदान करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
26.	अंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
27.	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान कम भुगतान।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
28.	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
29.	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दा।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
30.	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
31.	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
32.	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
33.	संपत्ति की अंतिम कुर्की से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
34.	शास्ति आरोपित करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
35.	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
36.	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
37.	अन्य—	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
38.	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	

मामले का सारांश (जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 100 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुररीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1.	पंजीकरण				
2.	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3.	आईटीसी का इनकार/अवरोधन।				
4.	कर का कम या गैर-भुगतान				
5.	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
6.	जुर्माने का लगाना				
7.	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माने का लगाना।				
8.	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)।				
9.	कोई अन्य				

उपयोगकर्ता एक से अधिक मुद्दा जोड़ सकता है

क्र.सं.	'ओदश प्रकार' की सूची	केस सारांश-संबंधित मुद्दा
1.	मांग आदेश	1) कर का कम या भुगतान न करना 2) जुर्माना लगाना 3) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना 4) वर्गीकरण विवाद
2.	प्रतिदाय आदेश	1) त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय
3.	पंजीकरण आदेश	1) पंजीकरण 2) पंजीकरण रद्द करना
4.	प्रवर्तन ओदश	1) जुर्माना लगाना 2) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना
5.	वसूली ओदश	1) आईटीसी से अस्वीकार/अवरुद्ध करना
6.	अन्य ओदश	कोई अन्य

अपीलकर्ता के बारे में

संघटन/पहचान संख्या	व्यवसाय का संघटन	जिस अधिनियम के अधीन निगमित	व्यवसाय प्रारंभ की तिथि	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता को निम्नलिखित स्वतंत्र पाठ रूप में बताना है:

अपीलकर्ता को उल्लेख करना है:

- क. उसके व्यवसाय का संविधान (जैसे कंपनी, साझेदारी, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि)
- ख. अधिनियम जिसके अधीन निगमित, यदि कोई हो (जैसे कंपनी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, आदि)।
- ग. इसके संविधान की तिथि
- घ. गठन प्राधिकारी द्वारा इसे दी गई संघटन/पहचान संख्या (जैसे कंपनी के मामले में कॉर्पोरेट पहचान संख्या, आदि)।
- ङ. इसके मुख्य कार्यालय का पता और राज्य में इसके मुख्य व्यवसाय स्थल का पता
- च. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी और जिस तिथि से जीएसटी के अधीन पंजीकृत

- छ. व्यवसाय की प्रकृति जिसमें वह संलग्न है (जैसे निर्माता/थोक व्यापारी/खूदरा विक्रेता/सेवा प्रदाता, आदि)
ज. अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अनुलग्नक-ड

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई कर्ता	तिथि	संक्षिप्त विवरण
<आवश्यक होने पर पंक्तियाँ जोड़ें>			

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"प्ररूप जीएसटी एपीएल-06"
[नियम 110(2) देखें]

धारा 112 की उप-धारा (5) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवाद

क्र.सं.	विवरण				
1	अपील संख्या—				
2	वर्तमान प्रतिवाद दाखिलकर्ता:				
	- जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/युआईएन/सीआरएन/एआरएन - नाम - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर - संचार के लिए पता - अधिकारी का पदनाम - कार्यालय विवरण - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर—				
3	ओदश संख्या — (अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश)— तिथि—				
4	अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और क्षेत्राधिकार				
	पदनाम:				
	क्षेत्राधिकार:				
	ओदश पारितकर्ता:				
5	अपील किए गए आदेश की संचार की तिथि —				
6	प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, जहाँ उपलब्ध —				
	उक्त प्रतिनिधि की ई-मेल आईडी —				
	उक्त प्रतिनिधि का संपर्क नंबर				
7	विवाद के अधीन मामले का विवरण—				
(i)	विवाद की अवधि				
(ii)	विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर
	(क) कर				
	(ख) ब्याज				
	(ग) जुर्माना				
	(घ) फीस				
	(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)				
(iii)	जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्ती है—				
8.	सम्मिलित मुद्दों का सारांश और उसके उत्तर का सारांश — अनुलग्नक क				

9.	करदाता या केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि—या वर्तमान प्रतिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि—			
	मांग तालिका			
10.	श्रेणी	कर निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार
	कर	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	ब्याज	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	जुर्माना	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	फीस	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	अन्य	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	प्रतिदाय	केंद्रीय कर		
		राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
11	प्रतिवाद के ज्ञापन में दावा की गई राहत			
12	उत्तर का सारांश (अनुलग्नक ख)			
13	प्रतिवाद के आधार			
14	पैरावार उत्तर (अलग से अपलोड करें)			

	सत्यापन: मैं, < _____ >, एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे कब्जे में स्थित सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। आज _____ दिन _____ माह _____ 20. _____ को सत्यापित। स्थान: तिथि: <हस्ताक्षर> इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम: आवेदक / अधिकारी पदनाम / स्थिति : "
--	--

अनुलग्नक-क

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र.सं.	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची।	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण।	एचएसएन का उल्लेख करें	
2.	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
3.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
4.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
5.	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
6.	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
7.	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
8.	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
9.	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
10.	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
11.	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
12.	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
13.	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
14.	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	

15.	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
16.	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
17.	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
18.	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
19.	गलत तरीके से एकत्रित कर एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
20.	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
21.	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
22.	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
23.	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
24.	अंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार प्रदान करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
25.	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
26.	अंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
27.	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
28.	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
29.	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
30.	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
31.	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
32.	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
33.	संपत्ति की अंतिम कुर्की से संबंधित आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
34.	शास्ति आरोपित करने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
35.	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश।	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
36.	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37.	अन्य—		
38.	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे।		

उत्तर का सारांश

(जहां परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं)

(प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र. सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1.	पंजीकरण				
2.	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3.	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4.	कर का कम या गैर-भुगतान				
4.	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
5.	जुमाने का लगाना				
6.	ब्याज या विलंब शुल्क या जुमाने का लगाना।				
7.	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)।				
8.	कोई अन्य				

”;

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-07

[नियम 111 देखें]

[धारा 112 की उप धारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन]

1. अपीलकर्ता/अपीलकर्ता के कार्यालय का नाम और पदनाम:

- (क) नाम
- (ख) पदनाम
- (ग) न्यायाधिकार
- (घ) राज्य/केंद्र

2. जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन (प्रत्यार्थी का) –

3. प्रत्यार्थी का नाम

4. प्रत्यार्थी का पता

5. जिसके विरुद्ध अपील की गई है वह आदेश संख्या दिनांक –

6. अपील किए गए आदेश पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण का न्यायाधिकार सहित पूरा पदनाम

7. अपील किए गए आदेश की संसूचना की दिनांक –

8. विवाद के अधीन मामले का विवरण:

- क. विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त मुद्दा
- ख. विवाद की अवधि –

ग. मामले का सारांश (अनुबंध क के अनुसार)

घ. जब्त किए गए माल का बाज़ार मूल्य, जहां सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती /जब्त करना है

9. प्रत्यार्थी के बारे में (अनुबंध ख के अनुसार)

10. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है— हां/ नहीं

11. तथ्यों का कथन (अनुबंध ग के अनुसार)

12. अपील के आधार

13. प्रार्थना —

14. विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे (अनुबंध घ के अनुसार)

15. मांग का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल राशि										
न्याय—निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल—01/डीआरसी—07 से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैन्सुअल रूप से भरा गया)
(क) कर															
(ख) व्याज															

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (3) के अनुसार मुझे आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह आवेदन दाखिल करने के लिए विधिवत प्राधिकृत/निर्देशित किया गया है और उक्त निर्देश/प्राधिकरण की सत्य प्रति इसके साथ अपलोड की जा रही है।

स्थान:

दिनांक:

<हस्ताक्षर>

अधिकारी का नाम:

पदनाम:
न्यायाधिकार:

मामले का सारांश

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र. सं.	मुद्दा संबंधित	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता की रुख	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण के रद्दीकरण का प्रत्यावर्तन।				
3	आईटीसी की अस्वीकृति/रोकना।				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
5	गलत प्रतिदाय				
6	शास्ति का आरोपण				
7	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना का आरोपण।				
8	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संगत स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख करें)।				
9	कोई अन्य				

अनुलग्नक-ख

प्रत्यार्थी के बारे में

व्यवसाय का संविधान	पता	व्यवसाय की प्रकृति		कोई अन्य संगत तथ्य	
जीएसटीएन/अस्थायी	व्यवसाय का संविधान	कोई अन्य संविधान व्यवसाय	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य संगत तथ्य

अनुलग्नक-ग

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई करने वाला	दिनांक	संक्षिप्त विवरण

अनुबंध-घ

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. सं.	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिणाम योग्य हो)
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2.	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता।	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें।	

3.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
4.	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
5.	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/ आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट को रोकना।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
6.	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
7.	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
8.	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
9.	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
10.	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
11.	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
12.	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
13.	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वचन।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
14.	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
15.	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
16.	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
17.	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश /जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
18.	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
19.	गलत तरीके से एकत्रित कर /एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
20.	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
21.	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
22.	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
23.	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
24.	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार प्रदान करने का आदेश	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
25.	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
26.	अंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
27.	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान /कम भुगतान।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	

28.	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
29.	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30.	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
31.	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
32.	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
33.	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
34.	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
35.	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश।	अपीलीय /पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें।	
36.	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37.	अन्य—		
38.	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे।		

”.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I dated 10-10-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 13/2025-State Tax

Shimla-2, the 10th October, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to hereby make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from 22nd day of September, 2025.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 31A, in sub-rule (2), for the figure "128", the figure "140" shall be substituted.

3. In the said rules, with effect from the 1st day of April, 2025, in rule 39, in sub-rule (1A), after the words and figures "of section 9", following shall be inserted, namely: —

"of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2025)".

4. In the said rules, with effect from the 1st day of October, 2025, in rule 91, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(2). The proper officer, on the basis of identification and evaluation of risk by the system, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90:

Provided that the proper officer, for reasons to be recorded in writing, may not grant refund on provisional basis and proceed with the order under rule 92:

Provided further that the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer."

5. In the said rules, in rule 110 , —

(a) in sub-rule (1),—

(i) after the words "electronically and provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), for the words, letters and figures "in FORM GST APL-02", wherever they occur, the words, letters and figures " in Part B of FORM GST APL-02A" shall be substituted.

6. In the said rules, after rule 110, the following rule shall be inserted, namely: —

"110A. Procedure for the Appeals to be heard by a single Member Bench. —

- (1) The President or the Vice-President if so authorised by the President in respect of any State Bench, may either on his own motion or an application filed by the parties to the appeal, scrutinise the appeal and transfer such appeal to any single Member Bench within the respective State if the appeal does not involve a question of law.
- (2) In case the single Member Bench, while hearing the appeal allotted under sub-rule (1), comes to a conclusion that the appeal may involve a question of law, such Bench shall for reasons to be recorded in writing send back the appeal to the President or the Vice-President, as the case may be, for reconsideration.
- (3) During the scrutiny of appeal under sub-rule (1) or reconsideration of appeal under sub-rule (2), the fact as to whether in respect of the same taxable person within a State, the same issue for the same or a different tax period has already been heard or decided by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member, shall be taken into consideration and where such a matter exists, the appeal shall be heard by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member.
- (4) For the purpose of reckoning the amount of fifty lakh rupees under sub-section (8) of section 109, the cumulative tax or input tax credit involved, or the amount of fine, fee or penalty, shall be determined with reference to all issues and all tax periods covered in the order appealed against."

7. In the said rules, in rule 111, —

(a) in sub-rule (1),—

(i) after the words "provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;

(c) in sub-rule (4),—

(i) for the words, letters and figures “in FORM GST APL-02”, wherever they occur, the words, figures and letters “in Part B of FORM GST APL-02A” shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words “self-certified copy” the words “self-attested copy” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 113, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2)The Appellate Tribunal shall, along with its order under sub-section (1) of section 113, issue, or cause to be issued, a summary of the order in FORM GST APL-04A clearly indicating the final amount of demand confirmed by the Appellate Tribunal.”

9. In the said rules, in FORM GSTR-9,—

(a) in the Table,—

(i) in Pt.III, under the heading “Details of ITC for the financial year”, —

(A) against serial number 6, under the heading “Details of ITC availed during the financial year”, —

(I) after the serial number A, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely,—

“A1	ITC of preceding financial year availed in the financial year (which is included in 6A above) other than ITC reclaimed under rule 37 and rule 37A.				
A2	Net ITC of the financial year =(A-A1)”				

(II) in the entry against serial number H, the words, brackets and letter “(other than B above)” shall be omitted;

(III) for serial number J and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“J	Difference (I-A2 above)”				
----	--------------------------	--	--	--	--

(IV) for serial number M and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“	M	ITC availed through ITC-01, ITC 02 and ITC-02A (other than GSTR-3B and TRAN Forms)				
---	---	--	--	--	--	--

”

State/UT Tax								
Cess								
Interest								
Late fee								
Penalty								
Other								

”

(iii) in Pt.V, under the heading “Particulars of the transactions for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period.”—

(A) for serial numbers 10, 11, 12, 13 and 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“

10	Supplies / tax declared through Invoices / Debit Note / Amendments (+)					
----	--	--	--	--	--	--

11	Supplies / tax reduced through Amendments / Credit Note (-)					
12	ITC of the financial year reversed in the next financial year					
13	ITC of the financial year availed in the next financial year					
14	Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above					
	Description	Payable		Paid		Difference
	1	2		3		2-3”
	Integrated Tax					
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Cess					
	Interest					

”

(B) under the heading “Instructions”, –

(i) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted namely:—

“1. Terms used:

- (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- (b) UQC: Unit Quantity Code
- (c) HSN: Harmonised System of Nomenclature Code
- (d) ITC: Input Tax Credit”;

(ii) in paragraph 2A,—

(A) after the words, “financial year only”, the words “for which annual return is being filed” shall be inserted;

- (B) after the words “not be reported here”, the words “until unless specifically required” shall be inserted;

(iii) in paragraph 4, —

- (A) after the words, letters and figures “or FY 2023-24” the words, letters and figures “or FY 2024-25” shall be inserted;

(B) In the Table,—

- (I) in second column, against table number “5D, 5E and 5F”, after the letters and figures “FY 2023-24”, the letters and figures “and FY 2024-25,” shall be inserted;

- (II) in second column, against table numbers 5H, 5I and “5J and 5K”, for the word and figures “2022-23 and 2023-24”, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;

(iv) In paragraph 5, in the Table,—

- (A) in second column, against table number 6A, for the word “taxpayer” the words “financial year” shall be substituted;

- (B) after table number 6A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely,—

“

6A1	ITC in respect of the preceding financial year, but availed through FORM GSTR-3B of April to October of the Financial Year for which annual return is furnished, filed till 30th November of the Financial Year for which annual return is furnished and included in auto populated values in table 6A above, should be declared here. Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall not be reported here as this will be reported in the Table 6H below. Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than due to rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here and this will not be reported in the Table 6H below.
-----	--

”;

(C) in second column, against table number 6B,—

- (I) after the words, figures, brackets and letters “separately under 6(H) below.”, the following shall be inserted, namely: —

“However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC which was availed (for the first time) should be declared in this table. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed should only be declared in Table 6H.”;

- (II) for the figures and word “2022-23 and 2023-24” the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted.

- (D) in second column, against table numbers 6C and 6D for the words and figures “2022-23 and 2023-24” the words and figures “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted.

- (E) in second column, against table number 6H after the words “shall be declared here.” the following shall be inserted, namely:—

“However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) which was availed (for the first time) should be declared in Table 6B above. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed should only be declared in here.

Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here.

Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall not be reported here as it is to be reported in the Table 6A1 above.”;

- (F) in second column, against table number 6J, after the words “this amount should be zero.”, the following shall be inserted, namely: –

“However, for FY 2024-25 onwards, the difference between the total amount of net ITC of the financial year availed through FORM GSTR-3B as per Table 6A2 and input tax credit declared in row B to H shall be auto populated here. Ideally, this amount should be zero.”;

- (G) for table number 6M and the entries relating thereto, the following table and entries shall be substituted, namely,—

“

6M	Details of ITC availed through FORM ITC-01, FORM ITC-02 and ITC-02A (i.e. ITC availed through Forms other than GSTR 3B, TRAN-1 and TRAN-II) in the financial year shall be declared here.
----	--

”;

- (H) for table number “7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H” and the entries relating thereto, the following table and entries shall be substituted namely,—

“

7A, 7A1, 7A2, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 37A, 38, 39, 42 and 43 of the HPGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the HPGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 or any other reversal not specified in any row above shall be declared in 7H. For FY 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only.
---	---

”;

- (I) against table number 8B, after the words and brackets “(without the CA certification).”, the following shall be inserted, namely:—

“However, for FY 2024-25 onwards, the input tax credit as declared in Table 6B shall be auto-populated here.” shall be inserted.

- (J) in second column against table number 8H after the words “The input tax credit”, words “availed in the financial year” shall be inserted.

- (K) after table number 8H and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely,—

8H1	Out of 8G, the input tax credit on Import of goods which is availed in next financial year shall be declared here.
-----	--

- (v) in paragraph 7,—

- (A) after the words, letters and figures “filed upto 30th November, 2024” the following shall be inserted, namely:—

“From FY 2024-25 onwards, Part V consists of particulars of transactions for the financial year for which annual return is furnished but declared in the FORM GSTR-3B filed for the months of April to October of next financial year, filed upto 30th November of next financial year.”;

- (B) In the Table, —

- (I) in second column, against table number “10 & 11”, after the words, letters and figures “30th November, 2024 shall be declared here” the following shall be inserted, namely:—

“From FY 2024-25 onwards, for Table 10, details of supplies or tax increased through invoices or debit note or upward amendment of the same pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto 30th November of next financial year shall be declared here.

From FY 2024-25 onwards, for Table 11, details of supplies or tax reduced through invoices or credit note pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto 30th November of next financial year shall be declared here.”;

- (II) in second column, against table number 12, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following shall be inserted, namely:—

“For FY 2024-25 onwards, aggregate value of reversed ITC of the financial year which has been reversed through the return filed in next financial year filed upto 30th November, shall be declared here (This will not be part of Table 7). Table 4(B) of FORM GSTR-3B of next financial year may be used for filling up these details.”;

- (III) in second column, against table number 13, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following shall be inserted, namely:—

“For FY 2024-25 onwards, details of ITC on supply of goods or services received pertaining to the financial year but ITC for the same was availed

in return from April to October of next financial year filed upto 30th November, of next financial year shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B of April to October of next financial year may be used for filling up these details.

However, any ITC which was reversed in any of the financial years as per rule 37 or rule 37A but was reclaimed in next financial year, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the Table 6H of GSTR-9 to be filed for next financial year only. The same shall not to be reported here .”;

(vi) in paragraph 8, in the Table, in second column, against serial numbers “15A, 15B, 15C and 15D”, “15E, 15F and 15G”, 16A, 16B, 16C, and “17&18”, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, wherever they occur, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;

(vii) in paragraph 9, for the word “only”, the words “or electronic credit ledger” shall be substituted.

10. In the said rules, in FORM GSTR-9C,—

(a) in the Table,—

(i) in Pt.II, under the heading “Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR-9) ”, against serial number 7, under the heading “ Reconciliation of Taxable Turnover”,—

(A) after the serial number D and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, —

“

D1	Supplies on which tax is to be paid by ecommerce operators as per sub-section (5) of section 9 [Supplier to report]				
----	---	--	--	--	--

”;

(B) in second column, against serial number E, for the letter and brackets (A-B-C-D) “ the letters and brackets (A-B-C-D-D1)” shall be substituted;

(ii) in Pt. III under the heading “Reconciliation of tax paid”,—

(A) against serial number 9 under the heading “Reconciliation or rate wise liability and amount payable thereon”,—

(I) after the entry serial number “K-1” and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely,—

“

K-2	Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA			
-----	--	----	--	--	--

”;

(II) in second column, against serial number Q, for the word “paid” the word “payable” shall be substituted;

(B) against serial number 11, under the heading “Additional amount payable but not paid (due to reasons specified under Table 6, 8 and 10 above)”,—

(I) for the word “Cash” the words and letters “cash or ITC” shall be substituted;

(II) after the entry relating to “Others”, the following entry shall be inserted, namely: —

“

Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA				
--	----	--	--	--	--

”;

(iii) In Part V under the heading “Additional liability due to on-reconciliation”, —

(A) for the word “Cash” the words and letters “cash or ITC” shall be substituted;

(B) after the entry relating to “Others”, the following shall be inserted namely:—

“

Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]					
--	--	--	--	--	--

”;

(v) after part V, the following shall be inserted, namely:—

“

7	Late fee payable and paid		
	Description	Payable	Paid
	1	2	3
A	Integrated Tax		
B	Central Tax		
C	State Tax/UT Tax		

”;

(b) under the heading “Instructions”,—

(i) in paragraph 4, in the Table,—

(A) in second column, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, wherever they occur, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;

(B) after table number 7D and entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

“

7D1	Supplies on which tax is to be paid by e-commerce operators as per sub-section (5) of section 9 shall be declared hereby the supplier.
-----	--

”.

(C) in second column, against table number 7E, for the words, figures, letters and brackets “reverse charge etc. declared in Table 7B, 7C, 7D above.” the words, figures, letters and brackets “reverse charge, supplies made sub-under section (5) of section 9 etc. declared in Table 7B, 7C and 7D and 7D1 above.” shall be substituted;

(D) in second column against table 7F, for the letters, figures and brackets “(4N – 4G)”, the letters, figures and brackets “(4N – 4G- 4G1)” shall be substituted;

(ii) in paragraph 6, in the Table—

(A) in second column against table number 14, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;

(C) after the table number 16 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“

17	Late fee will be payable as per section 47(2).
----	--

”.

(iii) in paragraph 8, for the word “only”, the words “or electronic credit ledger.” shall be substituted.

11. In the said rules, after FORM GST APL-02, the following Form shall be inserted, namely: —

“FORM GST APL-02A

[See rules 110 and 111]

Part A

Provisional Acknowledgment for submission of Appeal/Application

<Name of applicant><GSTIN/Temp ID/UIN/Reference Number/BO ID with date>

“Your appeal has been successfully filed against <Application Reference Number>.

An appeal/application has been submitted by you on the Goods and Services Tax Appellate Tribunal portal which is hereby provisionally acknowledged and its acceptance/admission is subject to scrutiny by the Registry/Bench. The Provisional Acknowledgement number is <Daily Number > dated ____.”
GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR -

Date of filing -

Time of filing -

filing/provisional acknowledgement number -

Name of the person filing the appeal -

Appeal fees -

Transaction Id -

<Signature>

Place:

Date:

Name

Designation

ON Behalf of GST Appellate Tribunal

Part B**Final Acknowledgement communicating registration/rejection of Appeal/Application**

Your appeal/application has been successfully filed/registered against <application reference number > dated < Date>.

GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR –

Case Registration Number –

Date of acceptance –

Date of appearance:

Time:

Court Number:

Bench:

AR/JR/DR/R

GSTAT.....
Bench”

OR

Your appeal/application filed vide provisional acknowledgment reference number.....dated.....has been rejected.

Date of rejection:

AR/JR/DR/R
GSTAT
Bench

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number.....dated..... has been dismissed as withdrawn.

Date of Dismissal:

AR/JR/DR/R
GSTAT
Bench”

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been Rejected due to Wrong Jurisdiction

Date of Rejection:

AR/JR/DR/R
GSTAT
Bench”

Your Appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been rejected due to wrong applicability of place of supply issue.

AR/JR/DR/R
GSTAT
Bench”

“Form GST APL-04 A
[See rule 113(2)]

Summary of the order and demand after issue of order by the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

Date of order.....

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –
2. Appeal Case Reference no. – Date.....
3. Name of the appellant –
4. Name of the Respondent –
5. Order appealed against –
 - (a) Order Type -- *Demand, Registration, Refund, Enforcement, Refund & Others*
 - (b) Ref Number – Date.....
6. Personal Hearing – *(All hearing dates)*
7. Status of Order under Appeal- *Confirmed/Modified/Rejected*
Confirmed – Order under Appeal is confirmed
Modified – Order under Appeal is modified
Rejected - - Order under Appeal is annulled
8. Order in brief: *(Free text, Max 2500 characters)–*
9. If demand order, then whether demand quantified: *(Yes/No)*
(If the answer is YES, the demand quantified as follows:)

Section-I

[illegible]

(d) Fees										
(e) Others										
(f) Refund										

Section-II

Place of Supply/ Name of State/UT	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute					
	Amount Determined					
Add rows						

10. For Other orders and Demand orders which are not quantified

Issues as raised by proper officer	Issues as determined by Appellate/Revisional authority	Order by GST Appellate Tribunal

11. If remanded with directions:

(a) Remanded to: *(specify authority to whom remanded. Adjudicating Authority, Appellate authority, Revisional authority, any other)*

(b) Directions subject to which remanded, if any: *(Free text, Max 1000 words)*

Section-III (Anti-profiteering)

12. Order In brief: *(Drop -Down Values)*

(a) *Reduction in Price*

(b) *Return to Recipient of Amount not passed on, along with interest*

(c) *Deposit in Consumer Welfare Fund/s*

(d) *Penalty Imposed (Amount to be specified)*

(e) *Cancellation of Registration*

Place:

Signature:

Date:

Designation:

Jurisdiction:”

13. In the said rules, for FORM GST APL-05, the following Form shall be substituted, namely: —

“Form GST APL-05

[See rule 110(1)]

Appeal to the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –
2. Name of the appellant –
3. Address of the appellant –
4. Respondent(s):
 - (a)
 - (b)
 - (c)

.....

[Specify designation and office of the respondent(s)]
5. Details of the authorised representative of the applicant:
 - (a) Name..... Mobile Email
 - (b) Name..... Mobile Email

.....
6. Order appealed against - *APL-04/Rejected APL-02* Number Date.....
7. Is place of supply involved in the dispute – Yes/No
8. Designation and Office of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against .
9. Date of communication of the order appealed against –
10. Details of order challenged before Appellate authority/Revisional Authority:
 - (a) NumberDate
 - (b) Order type (*As per Annexure A*)
 - (c) Period of dispute from (DDMMYYYY) To (DDMMYYYY)
(Applicable for demand related orders)
11. Details of the authority passing the order specified at Sl. no. 9: (*Specify designation and Office of the said authority*)
12. Name of the authorized representative
 - (a) Name..... Mobile Email
 - (b) Name..... Mobile Email

.....
13. Act (CGST/ SGST/ IGS)
14. Details of the case under dispute:
 - (a) Brief issue of the case under dispute
 - (b) Category of case under dispute (*As per Annexure B*)

15. Case Summary (*As per Annexure C*)
16. About Appellant (*As per Annexure D*)
17. Statement of facts (*As per Annexure E*)
18. Grounds of appeal
19. Prayer
20. Details of demand created, disputed and admitted.

[illegible]

21. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:

(a) Details of amount payable:

[illegible]

(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed admitted tax and cess)

Sl. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of tax paid			
					Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2.	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3.	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
4.	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid:

Sl. No.	Description	Amount payable				Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

Verification

I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. I further declare that no appeal against the impugned order has been preferred by me or my behalf before any Court or Authority or is pending before any Court or Authority.

Verified today, the _____ day of _____ month _____ 20____

< Signature >

Place:

Name

of the Applicant

Date:

Designation/Status

(Order Type)

Annexure A

Sl. No.	List of 'Order Type'
1.	Demand Order
2.	Refund Order

3.	Registration Order
4.	Enforcement Order
5.	Recovery Order
6.	Other order

Annexure B**(Category of case under dispute or issues involved)**

Sl. No.	List of 'Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1.	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2.	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act.	Mention notification no. and date.	
3.	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
4.	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
5.	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
6.	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
7.	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
8.	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both.	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order.	
9.	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
10.	Rejection/acceptance of application for amendment to registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
11.	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
12.	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
13.	Denial of facility to pay tax under composition scheme.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
14.	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
15.	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	

16.	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
17.	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
18.	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee).	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order.	
19.	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
20.	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
21.	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
22.	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
23.	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
24.	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
25.	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
26.	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
27.	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
28.	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
29.	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
30.	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
31.	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
32.	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
33.	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
34.	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
35.	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order.	Mention section and rule specified in Appellate/	

		Revisionary order.	
36.	Anti profiteering related matter		
37.	Others—		
38.	Issues related to Place of supply of goods and/or services.		

Annexure C

Case Summary (indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sl. No.	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant
1.	Registration				
2.	Revocation of registration				
3.	Denial/blocking of ITC				
4.	Short or non-payment of tax				
5.	Erroneous refund				
6.	Levy of Penalty				
7.	Levy of interest or late fee or fine				
8.	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)				
9.	Any other				

User can add more than one Issue

Order Type and Issue Related to mapping		
Sl. No.	Type of 'Order Type'	Case Summary- Issue related to
1.	Demand Order	(1) Short or non-payment of tax (2) Levy of penalty (3) Levy of interest or late fee or fine (4) Classification dispute
2.	Refund Order	(1) Erroneous refund
3.	Registration Order	(1) Registration (2) Revocation of registration
4.	Enforcement Order	(1) Levy of penal (2) Levy of interest or late fee or fine
5.	Recovery Order	(1) Denial/blocking of ITC
6.	Other order	Any other

About Appellant

Constitution/ Identification Number	Constitution of Business	Statute under which incorporated	Date of Commencement of business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

Appellant to state in free text form as follows:

Appellant to mention:

- his constitution of business (e.g. Company, Partnership, HUF, Trust, etc.)*
- Statute under which incorporated, if any (e.g. Companies Act, Trust Act, Societies Registration Act, etc.)*
- date of its constitution*
- constitution/identification number assigned to it by constituting authority (e.g. Corporate Identification Number in case of a company, etc.).*
- Address of its Head Office and address of its principal place of business in State*
- GSTIN/Temp Id and date from which registered under GST*
- Nature of the business in which he/it is engaged (e.g. manufacturer/wholesaler/retailer/supplier of services, etc.).*
- Any other relevant fact in view of the appellant*

Annexure E**Statement of Facts (Case History)**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary).

Reference/ acknowledgment No.	Action By	Date	Brief Narration
<Add rows, if required> "			

14. In the said rules, for FORM GST APL-06, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM GST APL-06

[See rule 110(2)]

Cross-objections before the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112

Sl. No.	Particulars
1.	Appeal No. – Date of filing –
2.	Present Cross-objection being filed by: ○ GSTIN/Temporary ID/UIN/CRN/ARN – ○ Name – ○ e-mail id – ○ Contact number – ○ Address for communication – ○ Designation of officer – ○ Office details – ○ e-mail id – ○ Contact number -
3.	Order no. – (Order of the Appellate/Revisional authority) - Date-
4.	Designation alongwith jurisdiction of the officer passing the order appealed against – Designation: Jurisdiction:

	<i>Order Passed by:</i>				
5.	Date of communication of the order appealed against –				
6.	Name of the authorized representative, where available –				
	e-mail id of said representative –				
	Contact number of said representative				
7.	Details of the case under dispute –				
(i)	Period of dispute -				
(ii)	Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess
	(a) Tax				
	(b) Interest				
	(c) Penalty				
	(d) Fees				
	(e) Other charges (specify)				
(iii)	Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods -				
8.	Summary of Issues involved and summary of reply thereto – Annexure A				
9.	Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the taxpayer or the Commissioner of State/Central tax/UT tax, as the case may be - OR Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the person filing the present cross-objection.				
10.	Demand Table				
	Category	Tax	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per the person filing this cross objection
	Tax	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Interest	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Fees	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Others	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Refund	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			

		Cess			
		Total			
11.	Reliefs claimed in memorandum of cross-objections.				
12.	Summary of reply (<i>Annexure B</i>)				
13.	Grounds of Cross-objection				
14.	Para-wise reply (<i>upload separately</i>)				
	Verification I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. Verified _____ today, the _____ day of _____ month _____, 20..._____ Place : _____ Date : _____ <Signature> Name of the person filing this cross-objection :: Designation/Status of Applicant/officer :”				

Annexure A**Summary of Issues involved and summary of reply thereto**

Sl. No.	Category of case under dispute or Issues involved	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)	Summary of Reply
1.	Misclassification of any goods or services or both.	Mention HSN		
2.	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act.	Mention notification no. and date.		
3.	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
4.	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
5.	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
6.	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
7.	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		

8.	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both .	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order.		
9.	Rejection/acceptance of application for registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
10.	Rejection/acceptance of application for amendment to registration .	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
11.	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
12.	Order dropping show-cause in relation to registration .	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
13.	Denial of facility to pay tax under composition scheme.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
14.	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
15.	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
16.	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
17.	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
18.	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee).	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order.		
19.	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
20.	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
21.	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
22.	Excess ITC availed/utilized u/s 73.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
23.	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
24.	Order rejecting/granting provisional refund.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
25.	Order denying/reducing/withholding/granting refund.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
26.	Issue related to provisional assessment .	Mention section and rule specified in Appellate/		

		Revisionary order.		
27.	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
28.	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
29.	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
30.	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
31.	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
32.	Order permitting payment in instalments.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
33.	Order relating to provisional attachment of property.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
34.	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
35.	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.		
36.	Anti profiteering related matter.			
37.	Others-			
38.	Issues related to Place of supply of goods and/or services.			

Annexure B**Summary of Reply**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable)

(Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sl. No.	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/ Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant	Reply to ground/issue raised in Appeal before GSTAT
1.	Registration					
2.	Revocation of cancellation of registration.					
3.	Denial/blocking of ITC					
4.	Short or non-payment of tax.					
5.	Erroneous refund					
6.	Levy of Penalty					
7.	Levy of interest or late fee or fine.					

”

•

[See rule 111]

[Application to the Appellate Tribunal under sub section (3) of Section 112]

1. Name and designation of the appellant/Office of Appellant:
 - (a) Name
 - (b) Designation
 - (c) Jurisdiction
 - (d) State/Centre
2. GSTIN/Temporary ID/UIN (of the respondent) –
3. Name of the respondent
4. Address of the respondent
5. Order appealed against Number - Date –
6. Complete Designation, along with jurisdiction of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against .
7. Date of communication of the order appealed against
8. Details of the case under dispute:
 - (a) Brief issue of the case under dispute
 - (b) Period of dispute –
 - (c) Case Summary (*As per Annexure A*)
 - (d) Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods
9. About Respondent (*As per Annexure B*)
10. Is place of supply involved in the dispute- Yes/No
11. Statement of facts (*As per Annexure C*)
12. Grounds of appeal –
13. Prayer –
14. Category of case under dispute or Issues involved – (*as per Annexure D*)
15. Details of demand:

	Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total Amount
Particulars	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A) (Auto-populated from APL-01/DRC-07, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant).	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns , where it is in the system or to be manually filled in by appellant).	Amount as per present appellant (c)	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A) (Auto-populated from APL-01/DRC-07, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant).	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns , where it is in the system or to be manually filled in by appellant).
(a) Tax					
(b) Interest					
(c) Penalty					
(d) Fees					
(e) Other charges					

I hereby declare that I have been duly authorized/directed by the Commissioner in accordance with sub-section (3) of Section 112 of the Act to file this application before the Appellate Tribunal and a true copy of the said direction/authorization is being uploaded herewith

Place:

<Signature>

Date:

Name of the

Officer:

Designation:

Jurisdiction:

Annexure A

Case Summary

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell)

Sl. No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant
1.	Registration				
2.	Revocation of cancellation of registration.				
3.	Denial/blocking of ITC				
4.	Short or non-payment of tax				

5.	Erroneous refund				
6.	Levy of Penalty				
7.	Levy of interest or late fee or fine.				
8.	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row).				
8.	Any other				

Annexure B**About Respondent**

Constitution of Business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

GSTN/Temp ID	Constitution of Business	Any other constitution business	Address	Nature of business	Any other relevant fact

Annexure C**Statement of Facts (Case History)**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary)

Reference/ acknowledgment no.	Action By	Date	Brief Narration

Annexure D**(Category of case under dispute or issues involved)**

Sl. No.	List of 'Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1.	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2.	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act.	Mention notification no. and date.	
3.	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
4.	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
5.	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
6.	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	

7.	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
8.	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both.	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order.	
9.	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
10.	Rejection/acceptance of application for amendment to registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
11.	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
12.	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
13.	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
14.	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
15.	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
16.	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
17.	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
18.	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee).	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order	
19.	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
20.	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
21.	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
22.	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
23.	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
24.	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
25.	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
26.	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule	

		specified in Appellate/ Revisionary order.	
27.	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
28.	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
29.	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
30.	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
31.	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
32.	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
33.	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
34.	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
35.	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order.	
36.	Anti-profiteering related matter		
37.	Others-		
38.	Issues related to place of supply of goods and/or services”		

”.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या 14/2025— राज्य कर

शिमला—02, 10 अक्टूबर, 2025

संख्या ई0एक्स0एन0—एफ (10)—2/2025—वॉल—1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

क्र.सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	वस्तुओं का वितरण
1	2	3
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.—

- (i) इस अधिसूचना में, “टैरिफ मद”, “उप-शीर्षक”, “शीर्षक”, और “अध्याय” से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय अभिप्रेत है;
 - (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर 2025 से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I, dated 10-10-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 14/2025-State Tax

Shimla-2, the 10th October, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to hereby notify the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely :—

- (a) Any person, who has not undergone Aadhar authentication under rule 10B of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017;
- (b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

Sl. No.	Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
1	2	3
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation:—

- (i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या 15/2025—राज्य कर

शिमला-02, 10 अक्टूबर, 2025

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ (10)-2/2025 वॉल-1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 44 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करने के संबंध में पंजीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I, dated 10-10-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 15/2025-State Tax

Shimla-2, the 10th October, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of Section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, in respect of filing of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is upto two crore rupees, from filing annual return that said financial year.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (ST&E).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 07 / Teh/B/2025

तिथि दायरा : 05-06-2025

तारीख पेशी : 06-11-2025

किस्म मु0 : जन्म पंजीकरण

शीर्षक.—विन्ता देवी पुत्री टेक सिंह, निवासी गांव बैहल, डा0 झरेट जगियां, ग्राम पंचायत झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव बैहल, डा0 झरेट जगियां, ग्राम पंचायत झरेट में दिनांक 01-06-1964 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज न करवाई है जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया की जन्म तिथि दिनांक 01-06-1964 को ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक 01-06-1964 को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० तारीख दायरा
115 / 2025 / TEH

तारीख पेशी
01-10-2025

03-11-2025

प्रार्थी विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, मौजा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल हलेड़कला व मौजा उजैन, पटवार वृत्त जोगीपुर में बुधि सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विधि सिंह पुत्र ख्याली राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम बुधि सिंह की बजाए विधि सिंह उपनाम बुधि सिंह पुत्र ख्याली राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० तारीख दायरा
114 / 2025 / TEH

तारीख पेशी
08-10-2025

07-11-2025

प्रार्थी राज कुमार पुत्र संत राम, निवासी महाल हार जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल चौहन्दा, पटवार वृत्त चौहन्दा में राजमल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राज कुमार पुत्र संत राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजमल की बजाए राज कुमार पुत्र संत राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी	
116 / 2025 / TEH		08-10-2025	07-11-2025

प्रार्थी किशोरी लाल पुत्र माधो राम, निवासी महाल ललेहड़, डा0 कच्छायरी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी किशोरी लाल पुत्र माधो राम, निवासी महाल ललेहड़, डा0 कच्छायरी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल ललेहड़, पटवार वृत्त जोगीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि राजस्व रिकार्ड में पठानू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम किशोरी लाल पुत्र माधो राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम पठानू की बजाए किशोरी लाल उपनाम पठानू पुत्र माधो राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० तारीख दायरा
110 / 2025 / TEH

तारीख पेशी
06-10-2025

04-11-2025

प्रार्थी जनक राज पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव व डा० सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम महाल व मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में जगदीश चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम दिसो राम पुत्र दिवाना दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम जगदीश चन्द की बजाए जगदीश चन्द उर्फ दिसो राम पुत्र दिवाना सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
113 / 2025 / TEH		06-10-2025
		04-11-2025

प्रार्थिया श्रीमती विक्रमा देवी पुत्री किहरू पुत्र वेली, निवासी महाल सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल व मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में कुमारी राम प्यारी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती विक्रमा देवी पुत्र किहरू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम कुमारी रामप्यारी की बजाए श्रीमती रामप्यारी उपनाम विक्रमा देवी पुत्री किहरू पुत्र वेली, निवासी महाल सौहड़ा का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
112 / 2025 / TEH		06-10-2025
		04-11-2025

प्रार्थी विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास, निवासी महाल वल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल वल्ला, मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में विक्रम चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास पुत्र सुन्दर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम विक्रम चन्द की बजाए विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 01-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० तारीख दायरा
110 / 2025 / TEH

तारीख पेशी
06-10-2025

07-11-2025

प्रार्थी प्रियांशु सैणी पुत्र विनोद सैणी, निवासी महाल वल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम महाल वल्ला, मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में विनोद कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम विनोद सैणी पुत्र धनी राम उपनाम तारा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम विनोद कुमार की बजाए विनोद सैणी पुत्र धनी राम उपनाम तारा का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :—

1. Sh. Nageshwar Panchal s/o Sh. Salagram Panchal, r/o Jhutawad, Mahidpur, District Ujjain, Madhya Pradesh-456 440.
2. Ms. Vasudha Kapoor d/o Sh. Anil Kapoor, r/o H. No. 178/8, Bangla Street, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Nageshwar Panchal s/o Sh. Salagram Panchal, r/o Jhutawad, Mahidpur, District Ujjain, Madhya Pradesh-456 440 and Ms. Vasudha Kapoor d/o Sh. Anil Kapoor, r/o H. No. 178/8, Bangla Street, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have presented a notice in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they are intending to marry within three calendar months and hence their marriage may be solemnized and registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-11-2025, after that no objection will be entertained and marriage will be accordingly solemnized & registered.

Issued today on 3rd day of October, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 703510 / 2025

तारीख मजरूआ : 26-09-2025

पेशी दिनांक : 01-11-2025

मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती रुमा पुत्री श्री भीखम राम, निवासी गांव दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फ्रीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2003.

श्रीमती रुमा पुत्री श्री भीखम राम, निवासी गांव दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-03-1954 है। परन्तु ग्राम पंचायत मसौली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थिया की जन्म तिथि किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाई है। अतः अब प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि मुताबिक परिवार रजिस्टर नकल, मतदाता पहचान कार्ड के मुताबिक 06-03-1954 ग्राम पंचायत मसौली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती रुमा पुत्री श्री भीखम राम, निवासी गांव दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-03-1954 ग्राम पंचायत मसौली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो इस इश्तहार के जारी होने के भीतर निर्धारित पेशी दिनांक 01-11-2025 सुबह 10.00 बजे तक लिखित/मौखिक असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो सचिव, ग्राम पंचायत समौली को श्रीमती रुमा पुत्री श्री भीखम राम, निवासी गांव दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-03-1954 दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Sh. Suresh Thakur s/o Sh. Jia Nand, r/o Village Kyari, Post Office Tara Devi, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Suresh Thakur s/o Sh. Jia Nand, r/o Village Kyari, Post Office Tara Devi, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of himself Sh. Suresh Thakur s/o Sh. Jia Nand, r/o Village Kyari, Post Office Tara Devi, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P. in the record of Secy., Birth and Death, in Gram Panchayat Badhai, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Suresh Thakur	Self	20-01-1964

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death of Secy., Birth & Death, in Gram Panchayat Badhai, Shimla, H.P., may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 06-10-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*ExecutiveMagistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Shimla Rural, District Shimla (H.P.)

Case No. : /2025

Date of Institution : 23-05-2025

Sh. Karam Singh s/o Jagir Singh, r/o 70 Phase-2, Village Madanpura, Mohali, Chandigarh.

Versus

General Public

Whereas, an application has been received from Sh. Karam Singh s/o Late Sh. Jagir Singh for correction of name of his deceased mother in the revenue record of Mouza Manar, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P.

And whereas, the applicant has submitted that in the revenue record the name of his mother is entered as Sahabu d/o Sh. Tholu, while in other documents such as death certificate, panchayat/MC Councillor verification, her name appears as Amar Kaur *alias* Sahiboo.

And whereas, the applicant has further filed an affidavit, one and same certificate and verification documents in support of his claim and requested that necessary correction of name be made in the revenue records.

Now, therefore, before taking any final action on the aforesaid application, it is hereby ordered that the matter be published in a widely circulated local newspaper, inviting objections, if any from the general public or any interested person(s).

Any person having objection to the said correction may file their objections in writing before the undersigned within 30 days from the date of publication of this order. If no objection is received within the prescribed period, further action shall be taken in accordance with law on merits of the case.

Issued under my hand and seal on this day of 4th October, 2025.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 1st Grade,
Shimla Rural, District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Gyan Pati w/o Sh. Ram Lal, r/o Village Thana, P.O. & Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Rukmi Devi in my Aadhar card No. 9089-8929-3300. Therefore it should be changed to Gyan Pati in Aadhar Card. Note the relevant information.

GYAN PATI
w/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Thana,
P.O. & Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Arun Kumar s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village & P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Adhrav Chauhan to Athrav Chauhan for all purposes in future. Please Note.

ARUN KUMAR
s/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Village & P.O. Chamboh,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Thakri w/o Sh. Maan Singh, r/o Village & P.O. Kiri, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Babli Devi w/o Man Singh in my Aadhar Card. Whereas my correct name is Thakri w/o Maan Singh. Please Note.

THAKRI
w/o Sh. Maan Singh,
r/o Village & P.O. Kiri,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hem Raj s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Bangarh, P.O. Bhainch Kuftoo, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that, I have changed my minor son's name from Neatik Verma to Naitik Verma. Please note all concerned, for further.

HEM RAJ
s/o Sh. Dhani Ram,
r/o Village Bangarh,
P.O. Bhainch Kuftoo, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Shalah (151), P.O. Kanda Banah, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.) declare that, I have changed my name from Anil Kumar to Manish. Please note all concerned, for further.

ANIL KUMAR
s/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Village Shalah (151),
P.O. Kanda Banah, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ruk Bahadur Kumal s/o Sh. Tak Bahadur, r/o Village Kathyar (880), P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that, I have changed my minor son's name from Naveen Kumar to Naveen Kumal. Please note all concerned, for further.

RUK BAHADUR KUMAL
s/o Sh. Tak Bahadur,
r/o Village Kathyar (880),
P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rama Devi w/o Sh. Vijay, r/o Village Pathru (23/200), P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that, I have changed my name from Rama Devi to Rama Verma. Please note all concerned, for further.

RAMA DEVI
w/o Sh. Vijay,
r/o Village Pathru (23/200),
P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjana Kumari w/o Sh. Vikas, r/o Village & P.O. Kashlog, Tehsil Arki (11) Distt. Solan (H.P.) declare that, I have changed my minor son's name from Manish Soni to Munish Soni. Please note all concerned, for further.

ANJANA KUMARI
w/o Sh. Vikas,
r/o Village & P.O. Kashlog,
Tehsil Arki (11) Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anita w/o Sh. Kaku Ram, r/o Village Kailla, P.O. Paliur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card and PAN Card is wrongly entered as Julekha. Whereas my correct name is Anita. Concerned please note it.

ANITA
w/o Sh. Kaku Ram,
r/o Village Kailla,
P.O. Paliur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Purna Bahadur Sunar aged 32 years s/o Sh. Shashi Thakur, r/o Inder Singh Niwas, Bishnog, P.O. Sariun, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Vikky Thakur to Purna Bahadur Sunar. All concerned noted.

PURNA BAHADUR SUNAR
s/o Sh. Shashi Thakur,
r/o Inder Singh Niwas,
Bishnog, P.O. Sariun, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hira Lal s/o Sh. Jai Chand, r/o Village Siyal, P.O. Manali, Distt. Kullu (H.P.) I have changed my daughter's name from Kayra Thakur to Aadya Thakur for all future purposes. Concerned note it.

HIRA LAL
s/o Sh. Jai Chand,
r/o Village Siyal,
P.O. Manali, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Poonam w/o Sh. Dev Singh, r/o Village Samala, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Poonam Chander in my Aadhar Card No. 3690-7336-6195. Therefore it should be changed to Poonam in my Aadhar Card. Note the relevant information.

POONAM
w/o Sh. Dev Singh,
r/o Village Samala,
P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kusla Devi w/o Sh. Mansa Ram, r/o Village Parmar, P.O. Kumar, Tehsil Pangri, Distt. Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Kushala Dev in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Kusla Devi in Aadhar Card. Concerned note it.

KUSLA DEVI
w/o Sh. Mansa Ram,
r/o Village Parmar,
P.O. Kumar, Tehsil Pangri, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Leelawati w/o Sh. Mansa Ram, r/o Village Kueru, P.O. Sehrol, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) PIN 173 221, declare that I have change my name from Leela Devi to Leelawati all concerned please may notice.

LEELAWATI
w/o Sh. Mansa Ram,
r/o Village Kueru,
P.O. Sehrol, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ashok Kumar s/o Sh. Rama Nand Sharma, r/o Village Balan, P.O. Chanog, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) age about 42 years do hereby solemnly affirm and declare that I want to correct my son's name from Divyansh Sharma (Previous name mentioned in his Aadhar Card) to Divansh Sharma (New name which is already mentioned in his birth certificate). All concerned please may note.

ASHOK KUMAR
s/o Sh. Rama Nand Sharma,
r/o Village Balan,
P.O. Chanog, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jatin Jaswal s/o Sh. Manoj Kumar, r/o Village Palehi, P.O. Chakloo, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in my Matric Certificate my name, my father's name & my Mother's name is wrongly entered as Jatin Jaiswal, Manoj Jaiswal & Reeta Jaiswal respectively. Whereas my correct name is Jatin Jaswal, my Father's correct name is Manoj Kumar & my Mother's correct name is Reeta Devi. All concerned please note.

JATIN JASWAL
s/o Sh. Manoj Kumar,
r/o Village Palehi, P.O. Chakloo,
Tehsil & District Chamba (H.P.).